कोर्ट फी COURT FEE भारत INDIA एक रुपया ONE RUPEE Re.1 1रु.

विलोपित विलोपित विलोपित

समक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

निग–2710–PBR/16

निगरानी कमाक /2016

आशाराम पुत्र रमेश जाति कुशवाह निवासी ग्राम खैरवाया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर

..आवेदक

सुनील सिंह जादौन अभि० द्वारा आज दि. 12-8-16 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 12-8-16
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. नैपाल सिंह पुत्र नारायण सिह जाति जाट निवासी ग्राम खैरवाया तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र

2. म.प्र. शासन

..........अनावेदकगण

निगरानी मध्य प्रदेश भू – राज्य संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन अनुविभागीय अधिकारी भितरवार जिला ग्वालियर म.प्र. के प्रकरण क 57 / 15–16 अपील में पारित आदेश 3.8.2016 के विरूद्ध ।

माननीय महोदय ,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ (आशाराम/नैपाल)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2710—पीबीआर/2016 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.11.16	आवेदक की ओर से सुनील सिंह जादौन अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा पेनल लॉयर उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता व स्थगन पर सुना । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 03—08—2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । म0प्र0भू—राजस्व संहिता, 1959 की धारा 52 मे हुये संशोधन के फलस्वरूप एक बार में 3 माह से अधिक की अवधि के लिये स्थगन नहीं दिया जा सकता है, जबकि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से असीमित अवधि के लिये स्थगन दिया जाना प्रतीत होता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधि विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें ।	
	अध्यक्ष	